8.3.22	बार-बार आवाज दिलाये जाने के बावजूद भी ना तो अपीलांट एवं नाही अपीलांट वकील उपस्थित आये। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता उपस्थित। हस्ताक्षर कराये गये। अतः मामला अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। मामला फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	8.3.22